24-08-2023

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वादी व प्रतिवादीगण न्यायालय में स्वयं उपस्थित हो उक्त प्रकरण में समझौता होने का निवेदन किया तथा अब कोई कार्यवाही नही चाहने का निवेदन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेज व वाद-पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन कर मनन किया। चूंकि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समझौता होने तथा पत्रावली में कोई अग्रिम कार्यवाही नही चाहने से वाद पत्र को इसी स्तर पर डिक्री में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शा० दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Singh Khatana
Date: 2024.02.13 11:35:33 IST
Reason: SelfAttested